

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935
No. 302]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2013

सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत् द्वारा, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

...

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्टूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. वीपीटी का प्रचलित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछलीबार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011 के जरिये अनुमोदित किया गया था जिसे भारत का राजपत्र में 31 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। वह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक प्रदान करता है। बाद में, प्रचलित दरमान की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 मई, 2013 के इसके आदेश के जरिये 30 सितम्बर, 2013 तक विस्तारित की गई थी।

3. दिनांक 8 फरवरी, 2013 और 22 मार्च, 2013 के अपने पत्रों के जरिये वीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श के लिए लिया गया है। दिनांक 8 अगस्त, 2013 के हमारे पत्र के जरिये वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई थी। जैसाकि सुनवाई में निर्णय लिया गया था, वीपीटी को कुछ ही बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करनी है साथ ही उसे याद दिलाया गया था कि वह दिनांक 8 अगस्त, 2013 के हमारे पत्र के जरिये पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 5 अक्टूबर, 2013 तक प्रस्तुत कर दे। पत्तन से मांगी गई सूचना अभी आनी बाकी है। पत्तन से सूचना प्राप्त होने पर उसकी जांच-परख में कुछ समय लगेगा। उसको देखते हुए, इस प्राधिकरण के विचारार्थ इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ समय लगेगा।

4. इस दौरान, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 के अपने पत्र के जरिये वीपीटी ने निवेदन किया है कि वह मांगी गई सूचना का संकलन कर रहा है और, वर्ष 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिये प्रोजेक्शनों के साथ लागत विवरणियों का संकलन किया जा रहा है और (ये सब) इस प्राधिकरण को शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाएंगे। अपेक्षित समय पर विचार करते हुए, वीपीटी ने इस प्राधिकरण से प्रचलित दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

5. प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त हो गई है। यह मानते हुए कि वीपीटी से सूचना आनी अभी शेष है और वह सूचना प्राप्त होने पर उसकी जांच परख में लागने वाले समय और इस प्राधिकरण के आंतिम रूप से विचारार्थ इस प्रकरण के परिपक्व होने में लागने वाले समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण वीपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तिथि से 31 दिसम्बर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. इसकी निष्पादनता की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल, 2013 के बाद वाली अवधि के लिये, स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो ऐसा अतिरिक्त आदिशेष निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा। वीपीटी को 1 अप्रैल, 2013 के बाद यदि कोई हानि होती है तो वह निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित/प्रतिबिम्बित नहीं होगी।

टी. एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

No. TAMP/13/2009-VPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/13/2009 – VPT

The Visakhapatnam Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of October, 2013)

This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18 February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 31 March, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. Subsequently, the validity of the existing SOR was extended till 30 September, 2013 by this Authority vide its Order dated 9 May, 2013.

3. The proposal filed by the VPT vide its letter dated 8 February, 2013 and 22 March, 2013 is taken on consultation with the concerned users / user association. The additional information/clarification sought from the VPT vide our letter dated 8 August, 2013 is awaited. Joint hearing on the proposal was held on 20 September, 2013. As decided at the hearing the VPT is to furnish the additional information on a few points and also reminded to furnish its response to the queries raised by us vide our letter dated 8 August, 2013 by 5 October, 2013. The information sought from the port is awaited. Examination of the information when received from the port will require some time. In view of that it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. In the meantime, the VPT vide its letter dated 4 October, 2013 has submitted that it is compiling the information sought and based on the Audit Report for the year 2012-13 cost statements together with projection for next three years is being compiled and will be submitted to this Authority shortly. Considering the time required, the VPT has requested this Authority to extend the validity of the existing SOR upto 31 December, 2013 or till effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

5. The validity of the existing SOR expired on 30 September, 2013. Considering that the information from the VPT is awaited and recognising the time required for examining the information when received and for the case to mature for final consideration, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VPT from the date of its expiry till 31 December, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined. If any loss is suffered by VPT beyond 1 April, 2013, it would not be factored in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]